निजी बीमा कम्पनियों को भारत सरकार ने दी लूट की छूट

निजी बीमा कम्पनियां जब से बाजार में आई है बीमा नियमों को पूरा बदल दिया गया है। बीमा प्राधिकरण भी इनके अनुसार चलता है। बीमा कम्पनियों का प्रिमियम लेते वक्त चेहरा कुछ और होता है और दावा भुगतान के वक्त कुछ और। इन कम्पनियों के प्रतिनिधि बाजार में घूमते रहते हैं तथा बीमाधारक व सरकार को धोखा देने में माहिर होते हैं मौके के हिसाब से काम करते हैं। एक मामूली अधिकारी को लाखों रुपये के क्लेम पास करने का अधिकार है बशर्ते उसमें कम्पनी का फायदा हो। कोई नियम नहीं चलता। बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार किसी बीमित वाहन का नुकसान होने पर जब बीमा प्रशिक्षित सर्वेक्षक नुकसान का आंकलन करेगा, जो जारी की गई पॉलिसी के नियम व शर्तों अनुसार नुकसान का आकलन कर बीमा कम्पनी को अपनी रिर्पोट देगा, जिससे न तो कम्पनी को न ही बीमा धारक को नुकसान होगा। बीमाधारक किये गये काम के बदले बिल पेश करेगा जिन पर दिया गया टैक्स सरकार को जायेगा।

करनाल: (जे के पी के) भारतीय बीमा कम्पनियों का अरबों रुपये का करोबार है जो आम जनता की जान-माल की सुरक्षा के लिये जिम्मेदार है लेकिन इस क्षेत्र में निजी कम्पनियों के प्रवेश से बीमा धारकों के हित सुरक्षा के लिये नहीं बल्कि उल्टे लूट की राह पर चल निकला है। ये करोबार अब बीमा धारकों के लिये बनाये गये सभी नियमों को ताक पर रखकर निजी कम्पनियों ने अपने ही नियम बना लिये तथा धन उगाही पर लग गये हैं। इन कम्पनियों को नियन्त्रण करने के लिये भारत सरकार ने बीमा नियन्त्रण व विकास अधिकरण (आई आर डी ए) की स्थापना की ताकि बीमा धारकों के हित की रक्षा की जा सके। लेकिन निजी बीमा कम्पनियों ने यहां बैठे अधिकारियों को भी चुगा पानी डाल कर खरीद लिया तथा मनमाने ढंग से अपने नियम बना लिये ।बीमा कारोबार का जो मूल सिद्धांत आम जनता की भलाई व सुरक्षा के लिये था उसे मुनाफ़ा का व्यापार बना दिया जाहिर है इसमें फ़ायदा तब ही होगा जब बीमा धारकों के हकों को लूटा जायेगा निजी बीमा कम्पनियों ने अपने कारोबार को बढ़ाने के सबसे पहले आई आर डी ए मिलकर बीमा धारकों से लिया जानेवाले प्रिमियम में बढ़ोत्तरी करवाई जिसमें बीमा कमाई में 150 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। साथ-साथ अनेकों शर्तें लागू कर दी जिनके चलते नुकसान होने पर बीमा धारकों को अपना दावे पेश करने में मुश्किल होने लगी। इस प्रकार बीमा धारक को दोनों हाथों से लूटा गया और सरकार दोनों हाथों से लुटते हुये देख रही है।

आई आर डी में बैठे अधिकारी निजी कम्पनियों को संरक्षण देने के बदले करोड़ों रुपये सालाना ले रहे हैं। इसी संरक्षण के बदले आमजन से निजी कम्पनियां कई गुणा फ़ायदा उठा रही है।

निजी कम्पनियों की शिकायत पहले आई आर डी ए के अध्यक्ष को की गई लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नही होनी थी और न हुई। वर्ष 2010 में जन्तर-मन्तर पर बीमा सम्बन्धित संस्थाओं ने एक दिन का धरना दिया तथा यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें तत्कालीन आई आर डी ए अध्यक्ष जे हरिनारायण के ख़िलाफ़ तमाम आरोप लगाये कि कैसे पैसा लेकर निजी कम्पनियों को बीमाधारकों से लूट की छूट दे रहा है। लेकिन जे. हरिनारायण वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम का अत्यंत विश्वसनीय था इसलिये उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय को निजी बीमा कम्पनियों व आई आर डी ए अध्यक्ष के ख़िलाफ़ बीमाधारकों की लूट की शिकायत की गई। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद तो कोई कार्रवाई नहीं की परंतु वहां से पत्र क्रमांक 3-3-2011 पी एम पी 4 246604 दिनांक 31-1-2011,3-3-2011 पी एम पी 4 302719 दिनांक 1-7-2011 को बार-बार सूचित किया गया कि तमाम शिकायतें मिली है तथा जिन्हें कार्यवाही के लिये वित्त मंत्रालय भेजा जा रहा। लेकिन वित्त मंत्रालय को तो पहले भी शिकायतें दी जा चुकी थी इसलिये कोई कार्यवाही नहीं हुई। आई आर डी ए का गठन सरकार ने बीमा धारकों के हक की रक्षा के लिये किया था लेकिन यहां बैठे अधिकारियों की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है आई आर डी ए अध्यक्ष जे हरि नारायण ने तो खुली लूट मचा कर निजी कम्पनियों को खुली छुट दे दी और निजी कम्पनियों ने बीमा धारकों के साथ-साथ सरकार को भी करोड़ों रुपये का चूना लगाया। बीमा धारकों व उनसे सम्बन्धित अनेकों संस्थाओं ने हज़ारों शिकायतें दर्ज करवाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हुई भी तो मामूली, धीरे-धीरे शिकायतों का अम्बार लगने लगा। सरकार पर दबाव भी बढ़ा भारत सरकार ने बीमा कम्पनियों की शिकायत सुनने के लिये दिखावे के तौर पर 12 बीमा लोकपालों की नियुक्ति करने का फ़ैसला किया, अलग-अलग जगहों पर कार्यालय खोले गये और उस पर करोड़ों रुपये खर्च हुए कार्यालय किराये पर लिये गये। अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती की गई लेकिन विडम्बना ये रही कि हज़ारों लम्बित शिकायतें होने के बावजूद भी कई कार्यालयों में लोकपाल भी नियुक्त नहीं हो सका। चंडीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर चार साल तक लोकपाल ही नियुक्त नहीं हुआ। अब किसकी शिकायत कौन सुने निजी कम्पनियों का हस्तक्षेप इतना कि अगर लोकपाल उनके ख़िलाफ़ बोले तो पद अस्थायी हो जाये बीमा लोकपाल कार्यालयों में निजी कम्पनियों के ख़िलाफ़ हज़ारों शिकायतें लम्बित पड़ी हुई है कोई सुननेवाला नहीं है। ऐसे कार्यालयों का क्या फ़ायदा ये सरकार जाने। सूचना अधिकार से प्राप्त सूचना अनुसारआई आर डी ए द्वारा मात्र एक साल में लोकपाल कार्यालयों में शिकायत दर्ज करवाने के विज्ञापन पर 115 लाख रुपये खर्च किये फ़ायदा किसे हुआ ये सरकार जाने। निजी बीमा कम्पनियां जब से बाजार में आई है बीमा नियमों को पूरा बदल दिया गया है। बीमा प्राधिकरण भी इनके अनुसार चलता है। बीमा कम्पनियों का प्रिमियम लेते वक्त चेहरा कुछ और होता है और दावा भुगतान के वक्त कुछ और। इन कम्पनियों के प्रतिनिधि बाजार में घूमते रहते हैं तथा बीमा धारक व सरकार को धोखा देने में माहिर होते हैं मौके के हिसाब से काम करते हैं। एक मामूली अधिकारी को लाखों रुपये के क्लेम पास करने का अधिकार है बशर्ते उसमें कम्पनी का फायदा हो। कोई नियम नहीं चलता। बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार किसी बीमित वाहन का नुकसान होने पर जब बीमा प्रशिक्षित सर्वेक्षक नुकसान का आंकलन करेगा जो जारी की गई पॉलिसी के नियम व शर्तों अनुसार नुकसान का आकलन कर बीमा कम्पनी को अपनी रिर्पोट देगा, जिससे न तो कम्पनी को न ही बीमा धारक को नुकसान होगा। बीमा धारक किये गये काम के बदले बिल पेश करेगा जिन पर दिया गया टैक्स सरकार को जायेगा।

इन निजी कम्पनियों ने बाजार में बैठे कालाबाजारियों से सांठ-गांठ कर रखी हैअगर किसी वाहन का नुकसान होगा तो इनका प्रतिनिधि बीमा धारक से सौदे बाजी करेगा जो भी कम से कम सौदा हो जाये अपने ऊपर बैठे अधिकारियों को फोटो भेज कर तय कर लेता है तथा बिना बिल के क्लेम पास करने को कहता है अगर कोई न माने तो अपनी शर्तें रख दी जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से क्लेम न देने की धमकी दी जाती है। कार्यालयों में सिक्योरिटी के नाम पर वाऊंसर रखे होते हैं जो साधारण बीमा धारक को भगा देते हैं। अगर कोई दबंग आ जाये तो क्लेम दे देते हैं।

श्रीराम जनरल इंश्योरैन्स, आई सी आई सी आई, बजाज एलायंस जनरल इंश्यैरैन्स की शिकायतें वर्षों तक सबूतों के साथ की गई जो कि आई आर डी ए ने कभी पॉवती तक नहीं भेजी। सरकार भी करोड़ों के टैक्स की मार खा कर चुप है निजी बीमा कम्पनी किसी प्रशिक्षित सर्वेक्षक से आंकलन करवाने से परहेज करती है क्योंकि अगर बीमा धारक को पूरा हक दिया गया तो करोबार में मुनाफ़ा कम होगा जो कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा। किसी भी नुकसान के दावे को खारीज करने के लिये कम्पनियों ने जासूस व इन्वेस्टीगेटर नियुक्त कर रखे हैं जिनका काम केवल दावों को झुठलाना मात्र है। इनके पास बीमा कारोबार का कोई अनुभव नहीं होता प्राय: पुलिस विभाग से सेवानिवृत व्यक्तियों या वकीलों की सेवायें ली जाती है। इनकी कहीं भी शिकायत नहीं हो सकती। क्योंकि ये कहीं से भी प्राधिकृत नहीं है लेकिन इनके कहने मात्र से कम्पनियां दावे खारिज कर देती है। बीमा धारक असहाय होकर बैठ जाता है। कम्पनियों ने हज़ारों करोड़ रुपये के दावे खारिज कर लोग़ों को लूटा है। जिसका जिम्मेदार आई आ डी ए में बैठा अधिकारी व सरकार है।

अगर किसी की गाड़ी चोरी हो गई और दस्तावेज भी साथ चले गये तो समझो आपका क्लेम भी गया। क्योंकि आप पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा ही दोगे लेकिन कम्पनी क्लेम नहीं दर्ज करवा पाओगे क्योंकि न तो आपके पास बीमा पॉलीसी है और न ही पंजीकरण अत: बिना दस्तावेज क्लेम दर्ज नहीं होगा और अगर आप लेट हो गये तो समझो क्लेम गया। क्योंकि पॉलिसी में ही लिख दिया गया है कि अगर समय पर सूचना नहीं दी गई तो क्लेम गया। निजी कम्पनियां कभी सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना नहीं देती। जब शिकायत आई आर डी ए में की जाती है तो कोई जवाब नहीं आता।

आई आर डी ए ने बीमा धारकों की शिकायतें लेने के लिये एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर 6 करोड़ 2 लाख 23 हजार 47 रुपये खर्च दिखाये गये लेकिन आज तक एक भी शिकायत का विवरण नहीं दिया गया। किसी भी शिकायत तक जवाब भी नहीं दिया गया। आई आर डी ए द्वारा ही स्वतंत्र सर्वेक्षकों की एक संख्या आई आई आई एच एल ए बनाई गई जिसे धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत करवाया गया तथा आदेश पारित किया गया कि प्रत्येक सर्वेक्षक को इस संस्था का सदस्य बनना जरूरी है सभी कम्पनियों को दिखावे के तौर पर नोटिस दिया कि बिना संस्था के मैम्बर बने किसी भी सर्वेक्षक की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। इस संस्था का मैम्बर शिप फ़ीस 10 हजार से लेकर 15 हजार रखी गई जिससे संस्था के कोष में करोड़ों रुपये का धन जमा हो गया। लेकिन निजी कम्पनियां फ़िर भी अपने अप्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा आंकलन का कार्य करवा रही है। सर्वेक्षकों ने विभिन्न माध्यमों से सबूतों के साथ आई आर डी ए में बैठे हुये अधिकारियों को भी लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त इन अधिकारियों द्वारा आज तक निजी कम्पनियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। कहावत है कि अंधी पीसे कुत्ता चाटे। सरकार द्वारा जिस संस्था आई आर डी ए का गठन बीमा धारकों के हक की रखवाली के लिये बनाया गया था वही निजी कम्पनियों के साथ मिल कर लूटने में लगी है।

जब सैंया भये कोतवाल ....

अभी कुछ महीने ही गुजरे हैं जब भाजपाई महंगाई की ऊंची दर के विरोध में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देश में प्रदर्शन कर रहे थे। खासकर आलू, प्याज और गैस के दामों को लेकर ये बेहद सक्रिय थे क्योंकि ये देश की ग़रीब, मेहनतकश आबादी को प्रभावित करते हैं।

अब सड़कों पर नजारा ठीक उलटा है। अब सड़कों पर से भाजपाई गायब हैं और कांग्रेसी सड़कों पर हैं। कांग्रेसी ठीक भाजपाईयों की तरह इन बुनियादी खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही कुछ कदम उठाये जो महंगाई बढ़ाने वाले हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण कदम उसने यह उठाया कि रेलभाड़े में चौदह प्रतिशत की वृद्धि कर दी। जब इस पर हल्ला मचा तो भाजपा सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया कि इस बढ़ोत्तरी का फ़ैसला तो पिछली कांग्रेस ने ही ले लिया था, उसने तो केवल लागू किया है। इस तरह उसने खुद ही यह स्वीकार कर लिया कि दामों को बढ़ाने के मामले में कांग्रेस की नीति का ही अनुसरण कर रही है।

इसी के आस-पास सरकार ने फ़ैसला किया कि चीनी के दाम बढ़ाये जायें। तर्क यह दिया गया कि एक लम्बे समय से गन्ना किसानों के लिए तो गन्ने के दाम बढ़ाये जाते रहे हैं लेकिन चीनी मिलों के लिए चीनी की कीमतें नहीं बढ़ाई गयी हैं। इससे न केवल चीनी मिलें घाटे में गईं बल्कि इसी कारण से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं कर पाई। इस तरह बताया गया कि यह फ़ैसला वस्तुत: किसानों के पक्ष में है।

असल में इस फ़ैसले के सीधे लक्ष्य चीनी मिल मालिक थे। उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाना उसका लक्ष्य था। किसानों को भुगतान कायदे से पहले भी नहीं होता था, आगे भी नहीं होगा। सरकार की मंशा और गति इस बात से भी उजागर होती है कि चीनी के दाम बढ़ाने के इस फ़ैसले के बाद उसने चीनी निर्यातकों को इस दाम वृद्धि से बचाने के लिये सब्सिडी दे दी पर मज़दूर-मेहनतकश जनता को पूछा तक नहीं। मज़दूर-मेहनतकश जनता को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की बात करने वाली सरकार को निर्यातकों को सब्सिडी को बढ़ाने में ज़रा भी परेशानी नहीं। तब वह अपने बजट घाटे को भूल जाती है। जितनी सब्सिडी सरकार ने चीनी निर्यातकों को दी यदि उतनी चीनी के दाम कम करने में दी जाती, अतिरिक्त चीनी की खपत देश में ही हो जाती पर सरकार ऐसा नहीं करेगी।

सबसे मज़ेदार किस्सा तो प्राकृतिक गैस के दामों का है। चुनावों के समय केजरीवाल एंड कंपनी ने इस बात को खूब प्रचारित किया कि गैस के दाम सरकार, दो गुना करने की सोच रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि मुकेश अंबानी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। केजरीवाल एंड कंपनी के अनुसार मुकेश अंबानी की एक जेब में कांग्रेस है तो दूसरी में भाजपा।

अब गैस के दामों को लेकर इस शोर-शराबे के बाद कोई भी सरकार यही सोचेगी कि इस गैस के दाम न बढ़ाये जायें। पर मोदी सरकार ने क्या किया? उसने इसे महज तीन महीनों के लिए टाला। तुरंत ही यह अंदाज लगाया गया कि यह फैसला आनेवाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र किया गया है। चुनाव सम्पन्न होते ही दाम बढ़ा दिये जायेंगे। आखिर मोदी और भाजपा सरकार की क्या मजबूरी है कि वह इस तरह के कदम उठा रही है? यह जानते हुए भी कि इन चुनावों में कांग्रेस की लुटिया डुबोने में महंगाई की बड़ी भूमिका रही है। मोदी सरकार ये कदम क्यों उठा रही है? बढ़ती महंगाई के कारण ही भाजपा दिल्ली में डर कर चुनाव नहीं कराना चाहती। तब भी मोदी सरकार क्यों महंगाई बढ़ाने पर अडिग है।

असल में महंगाई का बेहद सीधा सा मतलब है-मज़दूर-मेहनतकश जनता की क्रय शक्ति गिराकर पूंजीपति वर्ग का मुनाफ़ा बढ़ाना।

इसमें मज़दूर-मेहनतकश जनता की हालत खराब होना तथा पूंजीपतियों का और फलना-फूलना तय है। मज़दूर- मेहनतकश जनता इसलिए महंगाई को इतने तीखेपन से महसूस करती है और इसके विरुद्ध प्रतिरोध करती है।

पर पूंजीपति वर्ग ने पिछले लोकसभा चुनावों में ठीक इसी कारण तो कांग्रेस के मुकाबले मोदी व भाजपा को ज्यादा तरजीह दी थी कि वे पूंजीपति वर्ग का मुनाफ़ा तेज़ी से बढ़ायेंगे और इसके रास्ते की सारी बाधा दूर करेंगे। अब मोदी सरकार यही तो कर रही है। वह आगे भी बहुत कुछ करेगी। रही जनता में अपने खोते आधार को बचाने की तो उसके पास साम्प्रदायिक दंगों के रूप में रामबाण है ही।

वाकई 'अच्छे दिन' आ गये हैं। -नागरिक

इधर-उधर की

अच्छे दिन आ गये कहिये....

जिस समय देशभर में भाजपा के पक्ष में अपार बहुमत वाले नतीजे आ रहे थे, ठीक उसी समय अदानी पोर्ट, धामरा पोर्ट के अधिग्रहण के लिए 5500 करोड़ का सौदा कर रहा था।

इसी दौरान अदानी की कम्पनियों के शेयरों में भी तेजी से उछाल आ रहा था। पिछले आठ महीने में अदानी की तीन कम्पनियों के शेयरों की कीमत बढ़ने से बिना हर्रे-फिटकरी लगे उनकी बाजार पूंजी 62000 करोड़ रुपये से बढ़कर 100000 करोड़ रुपये हो गयी।

नयी सरकार का एजेण्डा

नयी सरकार का असली एजेण्डा आर्थिक क्षेत्र में लागू हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश, रेलवे में विदेशी निवेश, बाल्को और हिंदुस्तान जिंक सहित कई सार्वजनिक निगमों का शेयर बेचना, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का शेयर बेचना और उनका नीजिकरण इत्यादि।

ध्यान भटकाने के लिए धारा 370 जैसे विवाद भी चलते रहेंगे।

मेट्रो रेल पूंजी का खेल

मुम्बई में मेट्रो ट्रेन का ठेका रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का है। उसने पहले से तय किराये 9 से 13 रुपये से बढ़ाकर 10 से 40 रुपये कर दिये। यानी 11.4 किमी.की दूरी का किराया 40 रुपये।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ठेका प्राइवेट कम्पनी को देने का यही नतीजा है। निजीकरण का मतलब है लूट-खसोट।

कोलेटरल डैमेज का विकास

सरदार सरोबर की ऊंचाई 121.92 मीटर से बढ़ाकर 138.68 मीटर करने की इजाजत दे दी गयी । यानी बांध के जलाशय में अब छह मन्जिली इमारत के बराबर और पानी भरेगा। इस बांध के चलते उजाड़े गये हज़ारों लोग़ों का पुनर्वास का मुआवजा अभी भी दिया जाना बाकी है।

यानी विकास होगा। डूबे क्षेत्र में डूबने वाले खेत, गांव, मन्दिर, पाठशाला, बाग-बगीचे, मजूर-किसान, पशुधन तो समझिये की विकास के इस युद्धघोष में सहवर्ती नुकसान (कोलेटरल डैमेज) हैं।

विवा ब्राजीलियो!

इसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की त्रासदी कहें या बिडम्बना...'देश नहीं बिकने देंगे' का नारा लगनेवाले इन देशों के शासक थैलीशाह कुछ भी बेचकर डॉलर कमाने पर आमादा हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के मौके पर ब्राजील में दस लाख वेश्याओं को मेहमाननवाजी के लिये उतारा गया है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी जिन्दा है। ब्राजील की जनता प्रबल प्रतिरोध के लिये सड़कों पर उतरी हुई है। विवा ब्राजीलियो!

नेपोलियन जब इंग्लैण्ड पर चढाई करने जा रहा था, तो वह तीन क्रान्तियों के पुरोधा टॉम पेन से आशीर्वाद लेने गया। टॉम पेन ने उससे कहा कि दो इंग्लैण्ड हैं-एक शासकों का और दूसरा शासित-शोषित जनता का। तुम पहले को जीत सकते हो, दूसरे को कत्तई नहीं। और यही हुआ। आज भी दुनियाभर में यही हो रहा है। जनता अजेय है।

राजनीतिक कैरियर बनाने का पाठ्यक्रम

पूणे के एक निजी संस्थान नें राजनीति में कैरियर के लिये नेतृत्व कार्यक्रम का विज्ञापन दिया है। एक वर्षीय स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से सम्पर्क, एनजीओ, ग्राम पंचायत, ज़िला परिषद इत्यादि का दौरा, राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोप की अध्ययन यात्रा, दो महीने राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के साथ अन्तरंग प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा।

विज्ञापन के मुताबिक पाठ्यक्रम पूरा करने वालों को सलाहकार, रणनीतिकार, नीति-निर्माता, राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव परामर्शदाता तथा राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के कार्यालय प्रबंधक की नौकरी मिल सकती है।

यह पाठ्यक्रम पिछले 10 वर्षों से चलाया जा रहा है। इसकी फीस 1,70,000 रुपये है।

राजनीति पेशा है तो पेशेवर का प्रशिक्षण और बाजार में उनकी मांग भी होगी ही।

देश-विदेश